



2026:AHC:55049

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1616/2026

मीरा देवी और 3 अन्य

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अमृत राज को सुना गया।
2. विद्वान ए.जी.ए. ने अवगत कराया कि प्रतिवादी/सूचनाकर्ता को नोटिस की तामील हो चुकी है, किन्तु उसके पक्ष से अपील का विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उपलब्ध कराई गई नोटिस की प्रति अभिलेख पर रखी जाए।
3. यह आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत, अपीलकर्ताओं द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि अपील को स्वीकार करते हुए आरोपपत्र दिनांक 30.01.2025 तथा पारित संज्ञान एवं समन आदेश दिनांक 07.05.2025, जो अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कुशीनगर, पडरौना द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 583/2025 (राज्य बनाम सनी दयाल एवं अन्य), मुकदमा अपराध संख्या 432/2024, थाना खड्डा, जनपद कुशीनगर में पारित किया गया, को निरस्त किया जाए। उक्त वाद भारतीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 115(2), 352, 351(3), 324(4) तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(ध) से संबंधित है।

4. संक्षेप में, सूचनाकर्ता द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनांक 29.11.2024 को लगभग सुबह 9:00 बजे वे उसके घर आए और यह झूठा आरोप लगाते हुए कि उसने उनकी झोपड़ी तोड़ दी है, उसे गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे। उसने आगे कहा कि जब वह अपने घर के अंदर भागी, तब सभी अपीलकर्ताओं ने घर के भीतर भी उसके साथ मारपीट की।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप दुर्भावना से प्रेरित हैं, क्योंकि सूचनाकर्ता के ससुर ने अपनी भूमि वर्ष 2015 में अपीलकर्ता संख्या-4 के पक्ष में विक्रय विलेख के माध्यम से स्थानांतरित कर दी थी। इस संबंध में वर्ष 2024 में अपीलकर्ता संख्या-1 एवं 4 द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दीवानी वाद भी दायर किया गया, जो अभी लंबित है। उक्त भूमि के हस्तांतरण के कारण सूचनाकर्ता अपीलकर्ताओं के प्रति द्वेष रखती है।

6. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता ने एफ.आई.आर. में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार, उसने विवेचक के समक्ष दिए गए बयान में भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। विवेचना के दौरान पूछताछ किए गए स्वतंत्र साक्षियों ने भी यह नहीं कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। घटना में सूचनाकर्ता को कोई चोट भी नहीं आई। अधिवक्ता ने **गोरिंगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008) 12 एससीसी 531** के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एससी/एसटी अधिनियम के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि पीड़ित यह उल्लेख करे कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है तथा अभियुक्त उस समुदाय से संबंधित नहीं है। किन्तु वर्तमान मामले में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः एससी/एसटी अधिनियम के अपराध के मूल तत्व ही अनुपस्थित हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अस्थिर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता, उसके परिवारजनों तथा अन्य स्वतंत्र साक्षियों ने एफ.आई.आर. के कथन का समर्थन किया है। स्वतंत्र साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विवाद के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। दोनों पक्ष एक ही क्षेत्र के निवासी हैं और एक-दूसरे की पहचान से परिचित हैं। एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों की पुष्टि साक्षियों के बयानों से होती है। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया गया तथा संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया।
9. सूचनाकर्ता, उसके परिवारजनों तथा अन्य स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। कुछ स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने भी कहा है कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ किए गए कुछ अन्य स्वतंत्र साक्षियों ने यह भी बताया कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलकर्ता मीरा देवी एवं उसके पति द्वारा दीवानी वाद दायर किया गया है, जो अभी लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि जब अपीलकर्ता विवादित भूमि पर पहुँचे, तो उन्होंने पाया कि उनकी झोपड़ी तोड़ दी गई है और जब उन्होंने सूचनाकर्ता से इस बारे में पूछा, तभी कथित घटना हुई। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। अतः कथित घटना का समर्थन न केवल सूचनाकर्ता एवं उसके साक्षियों के कथनों से, बल्कि स्वतंत्र साक्षियों के प्रत्यक्षदर्शी विवरण से भी होता है।
10. जहाँ तक **गोरिगे पेंटेया**(उपरोक्त) के निर्णय का प्रश्न है, उसमें यह उल्लेख नहीं है कि पक्षकार पूर्व से एक-दूसरे को जानते थे या नहीं। ऐसे कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें एससी/एसटी समुदाय के व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया जाता है, और संभव है कि पक्षकार अलग-अलग क्षेत्रों से हों। ऐसी स्थिति में यह मान लेना कठिन होता है कि वे एक-दूसरे की पहचान से परिचित थे या नहीं। यह न्यायालय मानता है कि उक्त निर्णय का अनुपात उन परिस्थितियों में लागू होता है। वर्तमान मामले के तथ्य भिन्न हैं, क्योंकि दोनों पक्ष एक ही क्षेत्र के निवासी हैं तथा उनके बीच विवाद भी है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वे एक-दूसरे की पहचान से अनभिज्ञ थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता।

12. तदनुसार, यह आपराधिक अपील **निरस्त** की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

18 मार्च, 2026

एस. के.

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।